

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 19] No. 19] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2015 ∕पौष 11, 1936 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2015/PAUSHA 11, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

का.आ. 19(अ).—यत: दिल्ली के मास्टर प्लान में नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.08.2014 की सं. का.आ. 2006(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई भी आपत्ति सुझाव/ प्राप्त नहीं हुआ है और केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधनः

स्थान	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भू-उपयोग (दि.मु.यो- 2021)	परिवर्तित भूमि उपयोग निम्नलिखित में	सीमाएं
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का योजना जोन 'डी' में आने वाला प्लॉट संख्या 10-बी, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली	0.49 हैक्टेयर (1.20 एकड़)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं (सामाजिक-सांस्कृतिक)	सरकारी (सरकारी कार्यालय)	उत्तर: इन्द्रप्रस्थ भवन दक्षिण: एन.सी.ए.ई.आर. परिसिला भवन पूर्व:रिंग रोड पश्चिम: आजाद भवन

[फा. सं. के-13011/1/2014-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

- S.O. 19(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 2006 (E) dated 7.8.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, no objection/suggestion has been received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

Location	(2) 0.49 Ha.	Land Use (MPD-2021)	Land Use changed to (4)	Boundaries (5)	
Plot No. 10-B, I.P.					
Estate, New Delhi of Ministry of Human	(1.20 acres)	'Public and Semi- Public facilities	'Government (Government	North	: Indraprastha Bhawan
Resource Development, falling		(Socio-Cultural)	Office)'	South	: NCAER, Parisila Bhawan
in Planning Zone-'D'.				East	: Ring Road
				West	: Azad Bhawan

[F. No. K-13011/1/2014-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.